

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] No. 535] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASHADHA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

संख्या 7/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 644(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में--
 - (क) नियम 1 के शीर्षक में, "विस्तार" शब्द का लोप किया जाएगा।
 - (ख) नियम 10 के उपनियम (4) में, "डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित" शब्दों के स्थान पर, "सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ग) नियम 13 के उपनियम (4) में, "हस्ताक्षरित" शब्द के स्थान पर, शब्द "सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित" शब्द रखे जाएंगे ;

3948 GI/2017 (1)

- (घ) नियम 19 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, "उक्त नियम" शब्दों के स्थान पर, "नियम 8 का उपनियम (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (ङ) नियम 21 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-"(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के
 बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या
- (ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है।";
- (च) नियम 22 के उपनियम (3) में, "के उपनियम (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;
- (छ) नियम 24 में,--
 - (i) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;
 - (ii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"(3क) जहां रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत
 करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया
 गया है और उक्त अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गयी है, वहां
 रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के
 माध्यम से सत्यापित रिजस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध
- (ज) नियम 26 के उप-नियम (3) में, "या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग द्वारा सत्यापित ई-हस्ताक्षर या इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे;
- (झ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 की सारणी में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग

कराया जाएगा।";

- (i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता
- (ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता
- (iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता";
- (ञ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में, "[नियम 6(6) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 6(5) देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ट) प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.-12 में "30 दिनों के भीतर" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "90 दिन के भीतर" अंक और शब्द रखे जाएंगे :
- (ठ) प्ररूप जीएसटी आरईजी-25 में,—
 - (i) "अनंतिम पहचान" शब्दों के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे ;
 - (ii) "स्थान" और "<राज्य>" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, द्वारा सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

No. 7/2017-Central Tax

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,—
 - (a) in rule 1, in the heading, the word ", Extent" shall be omitted;
 - (b) in rule 10, in sub-rule (4), for the words "digitally signed", the words "duly signed or verified through electronic verification code" shall be substituted;
 - (c) in rule 13, in sub-rule (4), for the word "signed", the words "duly signed or verified through electronic verification code" shall be substituted;
 - (d) in rule 19, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words "the said rule", the words, brackets and figures "sub-rule (2) of rule 8" shall be substituted;
 - (e) in rule 21, for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of the Act, or the rules made thereunder; or
 - (c) violates the provisions of section 171 of the Act or the rules made thereunder.";
 - (f) in rule 22, in sub-rule (3), the words, brackets and figure "sub-rule (1) of " shall be omitted;
 - (g) in rule 24,—
 - (i) in sub-rule (1), the second proviso shall be omitted;
 - (ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(3A) Where a certificate of registration has not been made available to the applicant on the common portal within a period of fifteen days from the date of the furnishing of information and particulars referred to in clause (c) of sub-rule (2) and no notice has been issued under sub-rule (3) within the said period, the registration shall be deemed to have been granted and the said certificate of registration, duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to the registered person on the common portal.";
 - (h) in rule 26, in sub-rule (3), for the words "specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)", the words "or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf." shall be substituted;
 - (i) in Form GST CMP-04, in the table, for serial number 5 and the entries related thereto, the following shall be substituted, namely:—
 - "5. Category of Registered Person
 - (i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government

- (ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II
- (iii) Any other supplier eligible for composition levy.";
- (j) in Form GST CMP-07, for the brackets, words and figures "[See rule 6(6)]", the brackets, words and figures "[See rule 6(5)]" shall be substituted;
- (k) in Form GST REG-12, for the words and figures "within 30 days", the words and figures "within 90 days" shall be substituted;
- (l) in Form GST REG-25,—
 - (i) for the words and letters, "Provisional ID", the letters "GSTIN" shall be substituted;
 - (ii) the words "Place" and "<State>" shall be omitted.

[F. No. 349/58/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017 published *vide* G.S.R number 610(E), dated the 19th June, 2017.